

न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर—प्रथम तहसील व जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विष्णु कुमार भारद्वाज

राजस्व आवेदन सं. 14/2025

प्रार्थी—

राज्य सरकार जरिये
पटवारी आटी

बनाम

विप्रार्थी—


चनणाराम, गुमनाराम पि.
गोकलाराम जाति मेगवाल

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 30.06.2025

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का आटी द्वारा 10.02.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम डाबला के खसरा नम्बर 606/346 रकबा 719-06 बीघा किस्म गै.मु.पहाड़ भूमि में से 2 बीघा भूमि पर बाड़ बनाकर कब्जा कर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त। विप्रार्थी द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना स्वीकार किया।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विप्रार्थी के जवाब एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त एवं कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.12 का 50 गुणा रुपये 6/- (अक्षर छः रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
4. भू-अभिलेख निरीक्षक राणीगांव एवं पटवारी आटी को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा कराने हेतु, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा त.रा.ले. तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दपतर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विष्णु कुमार भारद्वाज)
नायब तहसीलदार—प्रथम
बाड़मेर